

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर ए, एरा

मुकदमा संख्या - 71/24 प्रा पत्र

1- काशराम शंकर नाहण निवासी- तालानगर तहसील-माण्डल (कौल)

बनाम

1- श्री विधारी शंकरनाथ नाहण निवासी- तालानगर तहसील-माण्डल (कौल)
(विधवाकिय प्रापकालक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 28.5.24

::आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तालानगर पटवार हल्का रागावानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3841, 3466 कुल किता 02 रकबा 1.7452 हेक्टेयर स्थित है। वादप्रती भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो रहा है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.03.24 को पजीबद्ध किया जाकर प्रत्यक्ष की अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर तालानगर पटवार हल्का रागावानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3841, 3466 कुल किता 02 रकबा 1.7452 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारों के जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण रागावानपुरा को 700 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में पौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार प्रार्थी को जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल